

उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
संख्या 2362/XVII(4)/2017-2(06)/2015
देहरादून: दिनांक 21 दिसम्बर, 2017

कार्यालय आदेश / संशोधन

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के DO No 4-4/2014/WW, दिनांक 30.12.2014 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत "बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ" योजना के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण/प्रबंधन हेतु शासनादेश संख्या-1654/XVII(4)/2017-02(06)/2015 दिनांक 01.09.2017 द्वारा 'राज्य स्तरीय टास्क फोर्स (STF)' समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति में सचिव, विद्यालयी शिक्षा को भी सदस्य के रूप में नामित किया जाता है।

2- उक्त शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय, अन्य शेष शर्तें यथावत् रहेगी।

(राधा रतूडी)
प्रमुख सचिव

संख्या- 2362 (1)/XVII(4)/2017-2(06)/2015 तददिनांकित

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख सचिव/सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक/उपाध्यक्ष, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. नोडल अधिकारी, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ (SRCW/SPMU)
10. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(जे०एल० शर्मा)
उप सचिव